न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः–रामचन्द्र, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः–235/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/235)

1. माया देवी पत्नि रामेश्वर, जाति बलाई, निवासी सांकरिया, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र छोगाराम जाति रेगर, निवासी नासिरदा, तहसील देवली, जिला टोंक।
2. रामनिवास पुत्र भैरूलाल कोली, जाति कोली, निवासी केकडी, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
3. बैनाथ पुत्र छोगा
4. देवकिशन पुत्र हरनाथ
5. लालाराम पुत्र हरनाथ
   समस्त जाति बैरवा, निवासी सांकरिया, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
6. छीतरमल पुत्र गोपाल, जाति रेगर, निवासी सांकरिया, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
7. रामस्वरूप पुत्र रामदेव जाति रेगर, निवासी सांकरिया, तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.06.2023 राजस्व वाद संख्या 7/2023 में पारित किया।

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट्स.
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 08
3. श्री लोकेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 अनुपस्थित
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 4 से 7 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 29.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 07/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 2375/3175 रकबा 0.35 है0 2394 रकबा 0.62 है0, 2374 रकबा 0.57 वाकै ग्राम सांकरिया तहसील केकडी आराजीयात में आवागमन हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 2381, 2381/3421, 2382, 2383, 2393, 2375/3172 में से 2381, 2382 में से सडक होना वर्णित करते हुए खसरा संख्या 2383 से होता हुआ खसरा संख्या 2375/3176 2394 तक 2393 के मध्य से रास्ता होना वर्णित कर 30 फुट रास्ता दिए जाने हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

हेतु पत्रावली दिनांक 19.5.2023 को नियत की गई, इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 16.6.2023 को वास्ते सुनवाई हेतु नियत की गई एवं प्रकरण में प्रार्थीया को दिनांक 13.4.2023 को बिना पेशी के दिनांक 27.4.2023 उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किया गया जो कि चस्पा कर न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया। उक्त नोटिस बाबत किसी प्रकार का अंकन पत्रावली पर नही है, ना ही दिनांक 27.4.2023 की पेशी रही है, दिनांक 16.6.2023 से पूर्व दिनांक 8.6.2023 को पत्रावली प्रशासन गांवो के संग शिविर मे नियत की जाकर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करना वर्णित करते हुए उक्त दिनांक को ही पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट पर सभी खातेदारान के हस्ताक्षर होना व सहमति होना अंकन कर प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता स्वीकृति के आदेश दिनांक 8.6.2023 को पारित किए गए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 07/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेसपोडेंट संख्या 1 से 7 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 2375/3175 रकबा 0.35 है0 2394 रकबा 0.62 है0, 2374 रकबा 0.57 वाकै ग्राम सांकरिया तहसील केकडी आराजीयात में आवागमन हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 2381, 2381/3421, 2382, 2383, 2393, 2375/3172 में से 2381, 2382 में से सडक होना वर्णित करते हुए खसरा संख्या 2383 से होता हुआ खसरा संख्या 2375/3176 2394 तक 2393 के मध्य से रास्ता होना वर्णित कर 30 फुट रास्ता दिए जाने हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष दिनांक 12.4.2023 को प्रस्तुत किया, जिस पर वास्ते तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 19.5.2023 को नियत की गई, इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 16.6.2023 को वास्ते सुनवाई हेतु नियत की गई एवं प्रकरण में प्रार्थीया को दिनांक 13.4.2023 को बिना पेशी के दिनांक 27.4.2023 उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किया गया जो कि चस्पा कर न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया। उक्त नोटिस बाबत किसी प्रकार का अंकन पत्रावली पर नही है, ना ही दिनांक 27.4.2023 की पेशी रही है, दिनांक 16.6.2023 से पूर्व दिनांक 8.6.2023 को पत्रावली प्रशासन गांवो के संग शिविर मे नियत की जाकर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करना वर्णित करते हुए उक्त दिनांक को ही पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट पर सभी खातेदारान के हस्ताक्षर होना व सहमति होना अंकन कर प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता स्वीकृति के आदेश दिनांक 8.6.2023 को पारित किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 16.6.2023 की नियत की गई है, उक्त पेशी से पूर्व राजस्व अभियान केम्प में प्रकरण में नियत किया गया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता अंकन किए जाने बाबत सहमति प्रदान की गई है, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करें खसरा संख्या 2381 में माननीय राजस्व मण्डल से स्थगन आदेश होना अंकन किया है, इसके बावजूद प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात के मध्य से रास्ता स्वीकृति हेतु आदेश पारित किए गए है, बिना प्रार्थीया खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 राजरस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अधिनियम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 13.4.2023 का अंकन किया हुआ है व पेशी दिनांक 27.4.2023 को उपस्थिति हेतु नियत की गई है, जिस पर किसी प्रकार की पेशी आदेशिका अनुसार नियत नहीं है, दिनांक 16.6.2023 से पूर्व पत्रावली को दिनांक 8.6.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प मे नियत किया जाकर उक्त दिनांक को ही मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होना अंकन किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात खसरा संख्या 2382 रकबा 0.36 हेक्टर मे से 2.16 वर्गमीटर रास्ता अन्य खातेदारान के साथ बिना प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान किए दिए जाने के आदेश पारित किए गए है, मौका रिपोर्ट दिनांक 7.6.2023 मे खसरा संख्या 2381 में माननीय राजस्व मण्डल से स्थगन आदेश होना अंकन किया हुआ है, इसके बावजूद माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के अधीन उक्त आराजीयात में से दिया गया रास्ता रहेगा, अंकन करते हुए आनन–फानन में निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 8.6.2023 को पत्रावली राजस्व अभियान के तहत नियत की जाकर तहसीलदार केकडी को मौका जांच रिपोर्ट राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया एवं उक्त अनुपालना में तहसीलदार केकडी द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक को प्रकरण में रास्ते के उपयोग में आने वाले खसरा व भूमि की गणना हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 7.6.2023 को साईक्लोस्टाईल आदेश मे बिना खातेदारान को नोटिस जारी किए, सबसे निकटतम रास्ता प्रार्थना पत्र में दर्शित ही काम आ रहा है, अंकन करते हुए रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित की गई है एवं तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट को दिनांक 8.6.2023 को उपखण्ड अधिकारी केकडी को प्रेषित की गई। जिसे यथावत स्वीकार करते हुए दिनांक 8.6.2023 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया की आराजी में से रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किए गए है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदार काश्तकारों के द्वारा स्वयं की आराजीयात पर आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता स्वीकृति हेतु अन्य खातेदारान की आराजीयात से रास्ता दिलाये जाने बाबत आवेदन किया जा सकेगा। उक्त बाबत धारा 251ए में प्रावधित किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 2 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त भी वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 2381, 2381/3421, 2382, 2383, 2393, 2375/3172 में से 2381, 2382 वाके ग्राम सांकरिया तहसील केकडी, जो कि अपीलांट व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 की स्वयं की खातेदारी की आराजीयात है, उक्त आराजीयात पर होकर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए है, अतः उक्त आराजीयात किसी भी रूप में रास्ते के लिये दिया जाना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रावधित नहीं है। इसके बावजूद धारा 251ए की मंशा के विपरीत वैकल्पिक मार्ग होने के बावजूद भी तथा अन्य रास्ता उत्तर की ओर स्थित है व अन्य रास्ते से आवागमन हेतु रहा है, का अंकन नहीं किया जाकर प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की खातेदारी की आराजी में से रास्ता स्वीकृत किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 07/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. हमनें अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 12.4.2023 को वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 16.6.2023 को नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 8.6.2023 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग एवं महंगाई राहत शिविर केम्प गुलगांव में पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण दिनांक 19.5.2023 को नियत कर आदेशिका में पत्रावली तलबी में अंकित कर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 7.6.2023 को नियत कि गई। दिनांक 7.6.2023 को पत्रावली में अंकित किया गया कि पीठासीन अधिकारी मंहगाई राहत केम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प 2023 में पधारे हैं। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 16.6.2023 नियत की गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में नियत तिथि से पूर्व प्रकरण दिनांक 8.6.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्णीत कर दिया जिसके संबंध में पक्षकारान को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई की किस बाबत नियत तिथि से पूर्व ही प्रकरण में एक अन्य तिथि नियत कर प्रकरण को नियत तिथि से पूर्व ही निर्णीत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 से 7 द्वारा दिनांक 8.6.2023 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया परंतु उक्त राजीनामे में अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 5 के राजीनामे में हस्ताक्षर नहीं है। चूंकि राजीनामा अनुसार संबंधित सभी पक्षकारान के उक्त राजीनामे में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है परंतु उक्त राजीनामें में अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है अतः उक्त राजीनामा किसी भी दृष्टि से राजीनामा की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने यह देखे बिना की सभी पक्षकारान की सहमति है कि नहीं उक्त अपूर्ण राजीनामे के आधार पर नियत तिथि से पूर्व ही प्रकरण को निर्णीत करने में त्रुटि कारित की है। दिनांक 7.6.2023 को पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट बाबत भी संबंधित पक्षकारान को कोई नोटिस अथवा सूचना दी गई हो इस बाबत भी पत्रावली पर कोई दस्तावेजात संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तामील भी प्रोपर-अथवा विधिक प्रक्रिया अनुसार नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में नोटिस तामीली का कहीं कोई अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 5 नियम 17, 18 व 19 की पालना करते हुए नोटिस तामील करवाने चाहिए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 17,18 व 19 का पालन नहीं किया गया व नोटिस की सम्यक तामिल के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकतम 30 फीट का रास्ता किन आधारों पर दिया गया इस बाबत भी ना तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2023 में कोई अंकन है ना ही मौका पर्चा में कोई अंकन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क में अधिकतम 30 फीट रास्ता बिना किसी विवेचन के स्वीकृत कर विधिक त्रुटि कारित की है। अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किए जाने योग्य है व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 07/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रार्थना-पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रदान करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर, उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व 30 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है या नहीं समुचित विश्लेषण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष दिनांक 19.02.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र) राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(रामचन्द्र) अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner